क्रम-संख्या--617

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार 18 सितम्बर, 1978
भाद्रपद 27, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2513/सत्रह-वि0-1-89-1978
लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1978)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा।

(2) यह 5 अगस्त, 1978 को प्रवर्तन में आया समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे;

'(ख) खंड (ख) में शब्द "टाउन एरिया कमेटी की सभी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य" के स्थान पर शब्द "टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की सभी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य" रख दिये जायेंगे और सदा से रखे गये समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, सन् 1978

4—(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 2513(2)/XVII-V-1—89-1978

Dated Lucknow, September, 18 1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipality Notified Area Aur Town Area (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniaym Sankhya 25 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1978

[U. P. ACT NO. 25 OF 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 5, 1978.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 13 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "one year", the words "eighteen months" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "one year", the words "eighteen months" shall be *substituted.*

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "one year", the words "eighteen months" shall be *substituted*

(*b*) in clause (*b*), *for* the words "all powers, functions and duties of the Town Area Committee shall be vested", the words "all powers, functions and duties of the Town Area Committee and its Chairman shall be vested", shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

U. P. Ordinance no. 1? of 1978.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 248 सा० (विधा०)--18-9-78--(2145)-1978-650 (मैक०) ।